



भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
भुवनेश्वर

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेट की
बिक्री के लिए ई-निविदा

ई- निविदा सं. आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/ निर्गम /1/25-26/ईटी/837

भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग
भुवनेश्वर-751001
ओड़िशा, भारत

अस्वीकरण

भारतीय रिज़र्व बैंक, निर्गम विभाग, भुवनेश्वर (बैंक) ने इच्छुक पार्टियों को करार की पृष्ठभूमि की जानकारी देने के लिए यह दस्तावेज तैयार किया है। हालांकि बैंक ने इसमें दी गई जानकारी को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती है और उसे सही मानता है, फिर भी न तो बैंक और न ही उसके कोई अधिकारी या एजेंसियां या उनके कोई भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, एजेंट या सूचना कार इस दस्तावेज में दी गई जानकारी या इससे जुड़ी किसी भी जानकारी की पूरी होने या सही होने के बारे में कोई वारंटी देते हैं या कोई दावा करते हैं, चाहे वह स्पष्ट हो या निहित रूप में हो।

यह जानकारी संपूर्ण होने का इरादा नहीं व्यक्त करती है। इच्छुक पार्टियों को अपनी पूछताछ करने की आवश्यकता होती है और उत्तरदाताओं को लिखित रूप में पुष्टि करने की आवश्यकता होगी कि उन्होंने ऐसा किया है, और वे निविदा जमा करने में केवल बैंक द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर भरोसा नहीं करते हैं। जानकारी इस आधार पर प्रदान की जाती है कि यह बैंक या उसके किसी भी प्राधिकरण या एजेंसी या उनके किसी भी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों, एजेंटों या सूचना कारों के लिए गैर-बाध्यकारी है।

यह एक खुली निविदा है। वे बोलीदाता जो इस दस्तावेज में दर्शाए गए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और उसमें दिए गए निर्देशानुसार विवरण प्रस्तुत करते हैं, वे भाग लेने के पात्र हैं।

बैंक करार के साथ आगे न बढ़ने या करार के विन्यास को बदलने या इस दस्तावेज में परिलक्षित समय सारिणी को बदलने या लागू की जाने वाली प्रक्रिया को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह रुचि व्यक्त करने वाले किसी भी पक्ष के साथ मामले पर आगे चर्चा करने से इनकार करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। रुचि व्यक्त करने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी प्रकार की लागत की प्रतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ई-निविदा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

यह भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर का एक ई-प्रोक्योरमेंट कार्यक्रम है। ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता एमएसटीसी लिमिटेड है।

आपसे अनुरोध है कि आप अपना ऑनलाइन निविदा जमा करने से पहले ई-निविदा आमंत्रित करने की सूचना और उसके बाद शुद्धिपत्र, यदि कोई हो, को पढ़ें और समझें। जो निविदाकार दस्तावेजी प्रमाण (जहां भी आवश्यक हो) के साथ शर्तों का पालन नहीं करते हैं, वे मूल्य बोली खोलने के लिए निविदा में अर्हता प्राप्त नहीं करेंगे।

ई-निविदा की प्रक्रिया:

- 1 अ) **पंजीकरण:** इस प्रक्रिया में एमएसटीसी ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के साथ विक्रेता का पंजीकरण शामिल है जो निः शुल्क है। पंजीकरण के बाद ही, विक्रेता अपनी बोलियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा कर सकते हैं। तकनीकी बोली के साथ-साथ मूल्य बोली जमा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली इंटरनेट पर की जाएगी।
- आ) **एमएसटीसी संस्करण (वी 3):** विक्रेता के पास निविदाओं में भाग लेने के लिए हस्ताक्षर और एन्क्रिप्शन प्रकार प्रमाण पत्र दोनों के पास वैध क्लास - III डिजिटल हस्ताक्षर होना चाहिए विक्रेताओं को बोली लगाने के लिए अपनी व्यवस्था करनी होगी।

विशेष नोट: बोली केवल ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है-

<https://www.mstcecommerce.com/eprocn/>

1). विक्रेताओं को खुद को ऑनलाइन पंजीकृत करना आवश्यक है

www.mstcecommerce.com → e-Procurement → PSU/Govtdepts → Select RBI Logo-

>Register as Vendor -- Filling up details and creating own user id and password → Submit.

2) विक्रेताओं को एक सिस्टम जनरेटेड मेल प्राप्त होगा जो उनके ईमेल में उनके पंजीकरण की पुष्टि करता है जो पंजीकरण फॉर्म भरने के दौरान प्रदान किया गया है। किसी भी स्पष्टीकरण के मामले में, कृपया आरबीआई/एमएसटीसी से संपर्क करें, (ई-निविदा के निर्धारित समय से पहले)।

संपर्क व्यक्ति (आरबीआई, भुवनेश्वर):

संपर्क व्यक्ति	मेल	मोबाइल
सुश्री सुलग्ना घोष, सहायक महाप्रबंधक	sulagnaghosh@rbi.org.in	06742394866
श्री म्रणाल गिरी	mrinalgiri@rbi.org.in	7008305811

	श्रीमती अलीशा दास, alishadas@rbi.org.in सहायक प्रबंधक	7978962687
संपर्क व्यक्ति (MSTC Ltd)		
संपर्क व्यक्ति	मेल	मोबाइल
श्री महेश रामवथ	rmaresh@mstcindia.co.in	8801281004
श्री टीडीएमवी सत्यसाई	tsatyasai@mstcindia.co.in	6370350776
हेल्प डेस्क/ऑफिस	helpdesk@mstcindia.co.in	0674-2544199/ 2950091
<p>बी) सिस्टम आवश्यकता:</p> <p>i) विंडोज 7 या उससे ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम</p> <p>ii. एज/गूगल क्रोम</p> <p>iii) हस्ताक्षर प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर iv) सिस्टम में डाउनलोड और स्थापित किए जाने वाले नवीनतम अद्यतन जेआरई 8 (x86 ऑफलाइन) सॉफ्टवेयर।</p>		
	<p>To disable “Protected Mode” for DSC to appear in The signer box following settings may be applied.</p> <p>□ Tools => Internet Options =>Security => Disable protected Mode If enabled ,i.e, Remove the tick from the tick box mentioning “Enable Protected Mode”. □ Other Settings:</p> <p>Tools => Internet Options => General => Click On Settings under “browsing history/Delete Browsing History” => Temporary Internet Files => Activate “Every time I Visit the Webpage”.</p> <p>To enable ALL active X controls and disable ‘use pop up blocker’ under Tools→ Internet Options→ custom level (Please run IE settings from the page www.mstcecommerce.com once)</p>	
2	तकनीकी बोली और मूल्य बोली ऑनलाइन जमा करनी होगी। निविदाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से निर्दिष्ट तिथि और समय पर खोली जाएंगी जैसा कि निविदा में दिया गया है।	
3	निविदा में सभी प्रविष्टियां बिना किसी अस्पष्टता के ऑनलाइन तकनीकी और मूल्य प्रारूपों में दर्ज की जानी चाहिए।	

4	<p>लेन-देन शुल्क के लिए विशेष नोट:</p> <p>लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य है। एक विक्रेता के पास लेनदेन शुल्क के भुगतान के बिना ऑनलाइन ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।</p> <p>नोट</p> <p>बोलीदाताओं को सूचना दी जाती है कि वे कार्यक्रम के समापन समय से पहले ही लेनदेन शुल्क का भुगतान कर दें ताकि बोली जमा करने के लिए खुद को पर्याप्त समय मिल सके।</p>
5	<p>अपलोड की गई निविदाओं/शुद्धिपत्र के बारे में जानकारी निविदा को अंतिम रूप देने तक प्रक्रिया के दौरान केवल ईमेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि एमएसटीसी के साथ विक्रेता के पंजीकरण के समय प्रदान की गई उनकी कॉर्पोरेट ईमेल आईडी वैध और अद्यतन है। विक्रेताओं से यह भी अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डीएससी (डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र) की वैधता सुनिश्चित करें।</p>
6	<p>एसओटी में उल्लिखित नियत तारीख और समय के बाद ई-निविदा तक पहुंच नहीं होगी।</p>
7	<p>ई-निविदा में बोली लगाना:</p> <p>a. विक्रेताओं को ई-निविदा में ऑनलाइन बोली लगाने के लिए पात्र होने के लिए आवश्यक ईएमडी और लेनदेन शुल्क (यदि कोई हो) जमा करना होगा। लेनदेन शुल्क गैर-वापसी योग्य हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। असफल विक्रेता (विक्रेताओं) के ईएमडी को निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा वापस कर दिया जाएगा।</p> <p>b. इस प्रक्रिया में तकनीकी और मूल्य बोली प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बोली शामिल है।</p> <p>c. जिन विक्रेताओं ने लेनदेन शुल्क जमा किया है, वे केवल MSTC website www.mstcecommerce.com → e-procurement → PSU/Govt. dept. → Login under RBI → My menu → Auction Floor Manager → live event → Selection of the live event के तहत इंटरनेट के माध्यम से अपनी तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा कर सकते हैं।</p> <p>d. विक्रेता को JAVA एप्लिकेशन चलाने की अनुमति देनी चाहिए। यह कवायद बिड फ्लोर खुलने के तुरंत बाद की जानी चाहिए। फिर उन्हें कॉमन टर्म्स/कमर्शियल स्पेसिफिकेशन भरना होगा और उसे 'save' करना होगा। उसके बाद तकनीकी बोली पर क्लिक करें। यदि यह एप्लिकेशन नहीं चलाया जाता है, तो विक्रेता अपनी तकनीकी बोली सहेजने/जमा करने में सक्षम नहीं होगा।</p> <p>e. तकनीकी बोली भरने के बाद, विक्रेता को अपनी तकनीकी बोली दर्ज करने के लिए 'save' पर क्लिक करना चाहिए। एक बार ऐसा करने के बाद, मूल्य बोली लिंक सक्रिय हो जाता है और इसे भरना पड़ता है</p>

	<p>और फिर विक्रेता को अपनी मूल्य बोली रिकॉर्ड करने के लिए 'save' पर क्लिक करना चाहिए। फिर एक बार तकनीकी बोली और मूल्य बोली दोनों को सहेज लेने के बाद, विक्रेता अपनी बोली पंजीकृत करने के लिए "Final submission" बटन पर क्लिक कर सकता है</p> <p>f. विक्रेताओं को दस्तावेज़ अपलोड करने के लिए दस्तावेज़ संलग्न करें बटन का उपयोग करने का निर्देश दिया जाता है। कई दस्तावेज़ अपलोड किए जा सकते हैं।</p> <p>g. सभी मामलों में, विक्रेता को अपनी बोली जमा करते समय डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपनी आईडी और पासवर्ड का उपयोग करना चाहिए।</p> <p>h. पूरी ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान, विक्रेता एक-दूसरे के लिए और बाकी सभी के लिए पूरी तरह से गुमनाम रहेंगे।</p> <p>i. ई-निविदा पूर्व घोषित तिथि और समय से और ऊपर उल्लिखित अवधि के लिए खुली रहेगी।</p> <p>j. ई-निविदा प्रक्रिया के दौरान जमा की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक बोलियां कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगी विक्रेता पर। किसी भी बोली को उस विक्रेता द्वारा दी गई वैध बोली के रूप में माना जाएगा और खरीदार द्वारा इसकी स्वीकृति आपूर्ति के निष्पादन के लिए क्रेता और विक्रेता के बीच एक बाध्यकारी करार बनाएगी।</p> <p>k. यह अनिवार्य है कि सभी बोलियां डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र के साथ जमा की जाएं अन्यथा सिस्टम द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।</p> <p>l. क्रेता के पास निविदा को रद्द करने या अस्वीकार करने या स्वीकार करने या वापस लेने या विस्तारित करने का अधिकार सुरक्षित है, जैसा भी मामला हो, बिना किसी कारण के हो।</p> <p>m. निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों का कोई विचलन स्वीकार्य नहीं है। किसी भी विक्रेता द्वारा ई-निविदा में बोली जमा करने से निविदा के लिए नियमों और शर्तों की उसकी स्वीकृति की पुष्टि होती है।</p>
8	इस निविदा के परिणामस्वरूप कोई भी आदेश उसमें उल्लिखित नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।
9	तकनीकी और वाणिज्यिक नियमों और शर्तों में किसी भी तरह के बदलाव की अनुमति नहीं है।
10	भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को इस ई-निविदा को रद्द करने या बिना कोई कारण बताए बोली (निविदाओं) की प्राप्ति की देय तारीख को बढ़ाने का अधिकार है।

11	<p>विक्रेताओं से अनुरोध है कि वे विक्रेता गाइड को पढ़ें और बोली लगाने से पहले उन्हें सिस्टम से परिचित कराने के www.mstcecommerce.com पेज में वीडियो देखें।</p>
----	---

विषय-सूची

विषय-वस्तु			
क्रम संख्या	खंड	विवरण	पेज नंबर
1.	I	निविदा की अनुसूची (एसओटी) और निविदा का रूप	8-13
2.	II	बोलीदाताओं को सामान्य निर्देश	14-29
3.	III	नियम और शर्तें	30-40
4.	IV	निविदा प्रपत्र – भाग- I (तकनीकी बोली)	41-45
5.	V	भाग - I के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची	46-57
6.	VI	निविदा प्रपत्र – भाग- II (मूल्य बोली)	58-60
7.	VII	करार की शर्तें	61-70



भारतीय रिज़र्व बैंक

निर्गम विभाग

भुवनेश्वर

खंड-1

निविदा की अनुसूची (एसओटी)

नोट: यह एक खुली निविदा पूछताछ है।

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर (इसके बाद इसे 'बैंक' के रूप में संदर्भित किया गया है) भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर से 'श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेटों की बिक्री' के लिए कंपनियों/साझेदारी फर्मों/प्रोपराइटरशिप कंपनियों से दो बोली प्रणाली (तकनीकी बोली और मूल्य बोली) के तहत ई-निविदा आमंत्रित करता है।

ई-निविदा संख्या:	आरबीआई/भुवनेश्वर क्षेत्रीय कार्यालय/निर्गम/1/25-26/ईटी/837
निविदा का माध्यम	एमएसटीसी ई-कॉमर्स साइट पर ई-टेंडरिंग, (ओपन निविदा) (ऑनलाइन भाग I - तकनीकी बोली और भाग II - मूल्य बोली) https://www.mstcecommerce.com/eprocn/
कार्य का अनुमानित मूल्य	₹37,70,000/- (रुपये सैंतीस लाख सत्तर हजार मात्र) प्रति वर्ष
बयाना धन जमा (ईएमडी)	भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के निम्नलिखित खाते में एनईएफटी द्वारा ₹75,400 (रुपये पचहत्तर हजार चार सौ मात्र) जमा किए जाने हैं। विवरण इस प्रकार हैं: (i) खाते का नाम – Earnest Money Deposit Received (ii) खाता संख्या – 186003001 (iii) आईएफएस कोड - RBIS0BBPA01

	ईएमडी को प्रेषित करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाना है। बोलीदाताओं को यह भी सूचना दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण आधिकारिक ईमेल आईडी "Issue, Bhubaneswar" <issuebhubaneswar@rbi.org.in>
लेनदेन शुल्क	जैसा कि एमएसटीसी पर लागू होता है
भुवनेश्वर के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि	15 जनवरी 2026 (गुरुवार)
भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट/एमएसटीसी वेबसाइट पर देखने और डाउनलोड करने के लिए पार्टियों के लिए उपलब्ध निविदा (एनआईटी) और निविदा दस्तावेज अपलोड करने की सूचना अपलोड करने की तिथि और समय	15 जनवरी, 2026 (गुरुवार) सुबह 11.00 बजे से
बोली पूर्व बैठक (ऑफलाइन)	11 फ़रवरी, 2026(बुधवार), सुबह 11:30 बजे स्थान – निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग, भुवनेश्वर- 751 001
ऑनलाइन तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा शुरू होने की तिथि www.mstcecommerce.com/eprocn	13 फरवरी, 2026(शुक्रवार) सुबह 11:00 बजे से
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	23 फरवरी, 2026 (सोमवार) दोपहर 3:00 बजे तक

तकनीकी बोली और मूल्य बोली जमा करने के लिए ई-निविदा की अंतिम तिथि www.mstcecommerce.com/eprocn	23 फरवरी, 2026(सोमवार) दोपहर 3:00 बजे तक
पार्ट I-तकनीकी बोली खोलने की तिथि और समय	23 फ़रवरी, 2026(सोमवार) शाम 4:00 बजे
भाग II-मूल्य बोली खोलने की तिथि और समय*	बाद में पात्र बोलीदाताओं को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया जाएगा।

निविदा का प्रपत्र

क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग
पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग
भुवनेश्वर, ओड़िशा
पिन-751001

प्रिय महोदय,

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेट की बिक्री के लिए ई-निविदा

मैं/हमने इसके बाद निर्धारित ज्ञापन में निर्दिष्ट कार्य और सेवाओं के दायरे की सावधानीपूर्वक जांच की है, जिससे निविदा को प्रभावित करने के रूप में उससे संबंधित अपेक्षित जानकारी प्राप्त की गई है। मैं/हम एतद्वारा कार्य के दायरे, विनिर्देशों और निर्देशों के अनुसार निर्दिष्ट समय के लिए ज्ञापन में कार्यों और सेवाओं को निष्पादित करने की पेशकश करते हैं, जो निविदाकर्ताओं और विशेष शर्तों के लिए सामान्य निर्देशों में संदर्भित लिखित रूप में और ऐसी अन्य सामग्रियों के साथ प्रदान किए जाते हैं, और अन्य सभी मामलों में, जहां तक वे लागू हो सकते हैं।

ज्ञापन

(क)	कार्यों का विवरण	:	भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भुवनेश्वर में श्रेड किए हुए करेंसी नोट ब्रिकेट की बिक्री के लिए निविदा
(ख)	काम का अनुमानित मूल्य	:	₹37,70,000/- (रुपये सैंतीस लाख सत्तर हजार मात्र) प्रति वर्ष
(ग)	बयाना धन जमा	:	₹75,400/- (पचहत्तर हजार चार सौ रुपये मात्र)
(घ)	सेक्योरिटी डिपॉजिट (केवल सफल बोलीदाता के लिए)	;	₹1,88,500/- (एक लाख अठ्ठासी हजार पांच सौ रुपये मात्र)

--	--	--	--

2. मैं/हम इस बात से भी सहमत हैं कि हमारी निविदा निविदा के भाग I के खुलने की तारीख से 90 दिनों के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध रहेगी और वैधता की इस अवधि को ऐसी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है जिस पर बैंक और हमारे बीच लिखित रूप में पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है।
3. यदि इस निविदा को स्वीकार किया जाता है, तो मैं/हम इसके द्वारा निविदा के सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और उन्हें पूरा करने के लिए सहमत हैं और डिफ़ॉल्ट रूप से, आपको या आपके उत्तराधिकारियों, या असाइनियों या नामांकित व्यक्तियों को ऐसी रकम जब्त करने और भुगतान करने के लिए सहमत हैं जो करार की लिखित स्वीकृति के साथ निविदा में निहित शर्तों में निर्धारित हैं।
4. मैं/हम समझते हैं कि कोई कारण बताए बिना आप किसी भी या सभी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। हमने भारतीय रिज़र्व बैंक के पास बयाना राशि के रूप में ₹75,400/- (रुपये पचहत्तर हजार चार सौ मात्र) जमा की है, जिस पर कोई ब्याज नहीं देना है। यदि हम ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर करार को निष्पादित करने में विफल रहते हैं, तो हम इस बात से सहमत हैं कि यह राशि हमारे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को जब्त कर ली जाएगी।
5. निविदाएं दो भागों में अपलोड की जाएंगी। भाग I में सभी वाणिज्यिक नियम और शर्तें और तकनीकी विवरण शामिल हैं और भाग II में बैंक के प्रोफार्मा में केवल मूल्य बोली शामिल है।

फर्म के मालिक का नाम (या)

हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत फर्म के भागीदार का नाम (या)

ऐसे व्यक्ति का नाम जिसके पास निविदा पर हस्ताक्षर करने की मुख्तारनामा हो। (प्रमाणित सच्ची प्रति पावर ऑफ अटॉर्नी संलग्न की जानी चाहिए।

भवदीय,

ठेकेदार के हस्ताक्षर

(गवाहों के हस्ताक्षर और पते)

सील

गवाह: गवाह 1

गवाह 2

<p>Signature _____</p> <p>Name _____</p> <p>Address _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Date: _____</p> <p>_____</p>	<p>Signature _____</p> <p>Name _____</p> <p>Address _____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>Date: _____</p> <p>_____</p>
---	---

खंड- II

बोलीदाताओं के लिए सामान्य निर्देश

A. सामान्य

1) निविदा का दायरा

ई-निविदाएं भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर (इसके बाद 'बैंक' के रूप में संदर्भित) द्वारा पात्र बोलीदाताओं से आमंत्रित की जाती हैं। निविदाकर्ता नियमित रूप से, सप्ताह में कम से कम एक बार या बैंक द्वारा आवश्यक होने पर, उस स्थान से जहां ब्रिकेट संग्रहीत किए जाते हैं और वहां से सामग्री के परिवहन की व्यवस्था करेगा। एक वर्ष में ब्रिकेट की वार्षिक मात्रा 600-700 टन के बीच भिन्न हो सकती है। हालांकि, यह एक सांकेतिक मात्रा है और करार अवधि के दौरान ब्रिकेट की वास्तविक मात्रा अलग-अलग हो सकती है।

2. निषिद्ध कार्य

बैंक के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध रखने में रुचि रखने वाले निविदाकर्ता, आपूर्तिकर्ता, ठेकेदार, करार/कार्यनिष्पादन की अवधि के दौरान बैंक के साथ नैतिकता के उच्चतम मानक का पालन करें। इस नीति के अनुसरण में, बैंक इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, नीचे दी गई शर्तों को निषिद्ध प्रथाओं के रूप में परिभाषित करता है:

- I. 'भ्रष्ट आचरण' का अर्थ है किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अनुचित रूप से प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी मूल्यवान चीज की पेशकश, देना, प्राप्त करना या याचना करना
- II. 'धोखाधड़ी कृत्य' का अर्थ है कोई भी कार्य या चूक, जिसमें गलत बयानी भी शामिल है, जो जानबूझकर

या लापरवाही से गुमराह करता है, या किसी पक्ष को वित्तीय या अन्य लाभ प्राप्त करने या दायित्व से बचने के लिए गुमराह करने का प्रयास करता है।

- III. 'जबरदस्ती कृत्य' का अर्थ है किसी पार्टी के कार्यों को अनुचित तरीके से प्रभावित करने के लिए किसी भी पार्टी या पार्टी की संपत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाना या नुकसान पहुंचाना।
- IV. 'मिलीभगत कृत्य' का अर्थ है एक अनुचित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए दो या दो से अधिक पक्षों के बीच एक व्यवस्था, जिसमें अनुचित तरीके से प्रभावित करना शामिल है, किसी अन्य पक्ष के कार्यों को अवार्ड के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देगा।
- V. यदि यह निर्धारित करता है कि अवार्ड के लिए अनुशंसित निविदाकर्ता प्रश्न में निविदा के लिए प्रतिस्पर्धा करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है, तो एक निविदाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए या निश्चित अवधि के लिए अपात्र घोषित कर सकता है, यदि किसी भी समय, बैंक यह निर्धारित करता है कि निविदाकर्ता करार के लिए प्रतिस्पर्धा करने या निष्पादित करने में निषिद्ध प्रथाओं में लगा हुआ है।

3. पात्रता मानदंड

पात्रता मानदंड के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य भाग-I-तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाएंगे।

	पात्रता मानदंड	जमा किए जाने वाले दस्तावेज
(a)	निविदाकर्ता (कंपनी / साझेदारी फर्म / स्वामित्ववाली संस्था) अनुभवी, संसाधनपूर्ण, वित्तीय रूप से मजबूत और लाइसेंस प्राप्त इकाई होना चाहिए।	<ol style="list-style-type: none"> i. पैन नं. ii. जीएसटीआईएन नं.

		iii. पिछले 3 वर्षों के लिए सीए प्रमाणित लेखा परीक्षित बैलेंस शीट या आईटीआर।
(b)	<p>पिछला अनुभव -</p> <p>बोलीदाता के पास पहले समान कार्य अनुबंधों को संभालने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए (01 अप्रैल, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक शुरू होने वाले पिछले 3 वर्षों के दौरान, 01 अप्रैल, 2023 से 31 मार्च, 2024, अप्रैल 01, 2024 तक और 01 अप्रैल, 2025 से 31 दिसंबर, 2025 तक भी)।</p>	(i) इस संबंध में ग्राहक प्रमाण पत्र अनुभाग-V के अनुलग्नक-I में दिए गए प्रारूप में संतोषजनक कार्यनिष्पादन दिखाते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है।
(c)	प्रत्येक पूर्ण कार्य का विवरण (पात्रता)	<p>31 दिसंबर, 2025 को समाप्त पिछले 3 वर्षों के दौरान इसी तरह के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने का अनुभव निम्नलिखित में से कोई एक होना चाहिए:</p> <p>i) तीन समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत कार्य के अनुमानित मूल्य के 40% के बराबर राशि से कम नहीं है।</p> <p>या</p> <p>ii) दो समान पूर्ण किए गए कार्य जिनमें से प्रत्येक की लागत कार्य के अनुमानित मूल्य के 50% के बराबर राशि से कम नहीं है।</p>

		<p>या</p> <p>iii) एक समान कार्य की लागत कार्य के अनुमानित मूल्य के 80% के बराबर राशि से कम नहीं है।</p> <p>निविदाकर्ताओं को भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए काम करने के पिछले अनुभव, यदि कोई हो, के दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कार्य आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत करनी होती हैं।</p>
(d)	कुल मूल्य	<p>चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निविदाकर्ता के पास सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।</p>
(e)	<p>वार्षिक टर्नओवर-</p> <p>राशि का वार्षिक कारोबार होना चाहिए,</p> <p>(i) 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 30% या उससे अधिक, यदि प्रस्तावित कार्य को पूरा करने की अवधि 2 वर्ष से अधिक है।</p> <p>(ii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 50% या उससे अधिक, यदि प्रस्तावित कार्य के पूरा होने की अवधि 1 वर्ष से अधिक और 2 वर्ष तक है।</p>	<p>पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2022-23, 2023-24, 2024-25 के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण के साथ-साथ इन तीन वित्तीय वर्षों के कारोबार का संकेत देने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र।</p>

	(iii) 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अनुमानित लागत का 100% या उससे अधिक, यदि प्रस्तावित कार्य के पूरा होने की अवधि 1 वर्ष तक है।	
(f)	ऋणशोधन क्षमता	निर्धारित प्रारूप में ₹37,70,000/- (रुपये सैंतीस लाख सत्तर हजार केवल) की सीमा तक किसी भी कार्यनिष्पादन के लिए अपने बैंकर (एक अनुसूचित बैंक) द्वारा जारी सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए (अनुलग्नक II)
(g)	नियम और शर्तों की स्वीकृति	खंड - III में दिए गए प्रारूप के अनुसार हस्ताक्षरित और प्राधिकृत दस्तावेज।
(h)	निविदाकर्ता के पास भुवनेश्वर के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि होना चाहिए।	<p>आवश्यक दस्तावेज: -</p> <p>i. प्रतिनिधि का नाम, पता और संपर्क विवरण।</p> <p>ii. प्रतिनिधि के निम्नलिखित में से कोई एक</p> <p>आधार कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर, आईडी प्रूफ के रूप में।</p>

(i)	पावर ऑफ अटॉर्नी की कॉपी	अनुलग्नक-III
-----	-------------------------	--------------

- I. केवल उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने वाले निविदाकर्ता ही काम के लिए निविदा के पात्र होंगे। यदि प्रस्तुत जानकारी अधूरी और गलत पाई जाती है तो आवेदन अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा।
- II. निविदाएं निविदा भाग- I के खुलने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए बैंक द्वारा स्वीकृति के लिए वैध होंगी और ऐसी अवधि तक बढ़ाई जाएंगी जिस पर पारस्परिक रूप से सहमति हो सकती है।

नोट: निविदाकर्ता आवश्यक पात्रता रखने के अपने दावों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे।

4. निविदा दस्तावेज में संशोधन

- I. निविदाएं जमा करने की समय सीमा से पहले किसी भी समय, बैंक भारतीय रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (<https://www.rbi.org.in>) और एमएसटीसी पोर्टल पर संशोधन/शुद्धिपत्र जारी करके इस दस्तावेज में संशोधन कर सकता है। जारी किया गया कोई भी संशोधन/शुद्धिपत्र इस दस्तावेज का एक हिस्सा होगा।
- II. भावी निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं तैयार करने में किसी भी/सभी संशोधनों/शुद्धिपत्र को ध्यान में रखने के लिए उचित समय देने के लिए, बैंक अपने विवेक से निविदा जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

B. निविदाओं की तैयारी

5. निविदाकर्ता निविदा तैयार करने और जमा करने से जुड़ी सभी लागतों को वहन करेगा और बैंक उन खर्चों के लिए जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे निविदा प्रक्रिया का संचालन या परिणाम कुछ भी हो।

6. निविदाकर्ता की पात्रता स्थापित करने वाले दस्तावेज़

खंड II (पैरा ए - 3) के अनुसार करार करने के लिए अपनी पात्रता स्थापित करने के लिए, निविदाकर्ता निविदा जमा करते समय सभी प्रासंगिक दस्तावेज़/रिकॉर्ड/जानकारी प्रस्तुत करेगा।

7. निविदाओं की वैधता की अवधि

अ. निविदा की वैधता अवधि निविदा जमा करने की अंतिम तिथि से 90 दिन होगी।

आ. असाधारण परिस्थितियों में, निविदा वैधता अवधि की समाप्ति से पहले, बैंक निविदाकर्ताओं से अनुरोध कर सकता है कि वे अपनी निविदाओं की वैधता की अवधि का विस्तार करें। अनुरोध और प्रतिक्रियाएं लिखित रूप में की जाएंगी।

8. बयाना जमाराशि (ईएमडी)

अ) एनईएफटी द्वारा **₹75,400/-** (रुपये पचहत्तर हजार चार सौ मात्र) की बयाना राशि जमा केवल भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में जमा की जानी चाहिए। खाते का विवरण इस प्रकार है:

(i) खाते का नाम: **Earnest Money Deposit Received, RBI, Bhubaneswar**

(ii) खाता संख्या-**186003001**

(iii) आईएफएससी-**RBIS0BBPA01**("0" दोनों स्थानों पर शून्य है)

ईएमडी को प्रेषित करने का प्रमाण एमएसटीसी पोर्टल में अपलोड किया जाना है। बोलीदाताओं को यह भी सूचना दी जाती है कि वे लेन-देन संख्या (स्कैन की गई प्रति) के साथ प्रेषण का प्रमाण आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजें: "Issue, Bhubaneswar" <issuebhubaneswar@rbi.org.in> The असफल बोलीदाताओं के ईएमडी को बैंक द्वारा वापस कर दिया जाएगा।

c. निविदाएं जमा करना और खोलना

9. निविदाओं को जमा करना, सील करना और चिह्नित करना

- (a) निविदाकार निर्धारित प्रारूप (भाग- I) में सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रतियों के साथ निर्धारित प्रारूप (भाग- I) में अपनी पात्रता मानदंड प्रस्तुत कर सकते हैं, जो निर्धारित प्रारूप में दिए गए दस्तावेजों की सूची और निर्धारित प्रारूप (भाग- II) में मूल्य बोली के अनुसार है। सभी जानकारी के साथ ई-निविदा अंतिम तिथि पर निर्धारित समय पर या उससे पहले प्रस्तुत की जाएगी।
- (b) यदि वांछित/निर्धारित सूचना प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो बैंक निविदा की अस्वीकृति के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।
- (c) यह ध्यान दिया जा सकता है कि भाग-I के साथ मूल्य बोली प्रस्तुत करने से निविदा अस्वीकृत हो जाएगी।

10. निविदाएं प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि

- (d) निविदा ई-निविदा प्रक्रिया के माध्यम से ऑनलाइन भरी जानी चाहिए, इस दस्तावेज़ में इंगित तिथि और समय के बाद नहीं।
- (e) बैंक अपने विवेक से निविदा दस्तावेज़ में संशोधन करके निविदाएं जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

D. निविदाओं की जांच

11. गोपनीयता

निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी निविदाकर्ताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर इस तरह की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जब तक कि सभी निविदाकर्ताओं को करार अवार्ड की जानकारी नहीं दी जाती है।

12. निविदाओं का स्पष्टीकरण

- (a) परीक्षा, मूल्यांकन, निविदाओं की तुलना और निविदाकर्ताओं की पात्रता में सहायता करने के लिए, बैंक, अपने विवेक पर, किसी भी निविदाकर्ता से अपनी निविदा के स्पष्टीकरण के लिए पूछ सकता है, जिससे प्रतिक्रिया के लिए उचित समय मिल सके। निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो बैंक के अनुरोध के जवाब में नहीं है, पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बैंक का अनुरोध और उत्तर लिखित रूप में होगा। निविदा की कीमतों या वस्तु में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश किया जाएगा, या अनुमति दी जाएगी, सिवाय इसके कि निविदाओं के मूल्यांकन में बैंक द्वारा खोजी गई निर्गमगणितीय त्रुटियों के सुधार की पुष्टि की जाए।
- (b) यदि कोई निविदाकर्ता स्पष्टीकरण के लिए बैंक के अनुरोध में निर्धारित तिथि और समय तक अपनी निविदा का स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा अस्वीकृत हो सकती है।

E. निविदा मूल्यांकन और तुलना

13. निविदाकर्ता की पात्रता

बैंक अपनी संतुष्टि के लिए यह निर्धारित करेगा कि चयनित निविदाकर्ता खंड III (पैरा ए-3) के अनुसार पात्रता मानदंडों को पूरा करता है या नहीं।

14. निविदाओं की जांच/मूल्यांकन

निविदा में दो भाग शामिल हैं अर्थात् 'तकनीकी बोली' पर भाग I और 'मूल्य बोली' पर भाग II। ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।

- i. तकनीकी बोली पर भाग-I को खंड IV में उल्लिखित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना है।
- ii. निविदा की मूल्य बोली पर भाग-II में अलग से प्रस्तुत की जाएगी जिसमें केवल भारतीय रुपये में कीमतें शामिल हैं और खंड VI में दिए गए निर्दिष्ट प्रारूप में मूल्य का विस्तृत विवरण **आंकड़ों** और शब्दों दोनों में शामिल है। भाग II में किसी अन्य एन्क्लोजर की अनुमति नहीं है। निविदा के

भाग II में पाए गए नियम और शर्तों और विचलन, यदि कोई हो, में परिवर्तन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे अमान्य माना जाएगा। उद्धृत दरों को समाप्त कार्य के लिए माना जाएगा और बिना किसी वृद्धि के दृढ़ और बाध्यकारी होगा।

- iii. निविदाओं का भाग I निविदाकर्ताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला जाएगा, जो उपस्थित होना चुनते हैं।
- iv. निविदाओं की पहले जांच की जाएगी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या वे पूर्ण हैं और आवश्यक और महत्वपूर्ण आवश्यकताओं, शर्तों आदि को पूरा करते हैं, जैसा कि निविदा दस्तावेज में निर्धारित किया गया है जो निविदाएं बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं, उन्हें अनुत्तरदायी माना जाएगा और उनकी उपेक्षा की जाएगी।
- v. केवल उन्हीं निविदाकर्ताओं की मूल्य बोली (भाग-II) जो निविदाओं के भाग-I की संवीक्षा के बाद पात्र पाए जाते हैं, को उस तारीख को खोला जाएगा जिसके बारे में उन्हें अग्रिम रूप से सूचित कर दिया जाएगा।
- vi. बैंक उन निविदाकर्ताओं को ठेका प्रदान करेगा जिनकी बोली निविदा दस्तावेज में उल्लिखित शर्तों के प्रति पर्याप्त रूप से उत्तरदायी होने के लिए निर्धारित की गई है और जिन्होंने एच1 (उच्चतम बोलीदाता) प्राप्त करने के लिए करार के सभी घटकों के मूल्यों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित बोली मूल्य की पेशकश की है/दी है।
- vii. उद्धृत दर में सभी करें, जीएसटी, टीसीएस, शुल्कों, वैधानिक प्राधिकरण द्वारा लगाए गए शुल्क शामिल नहीं होंगे।
- viii. निविदाओं का मूल्यांकन निविदा दस्तावेज में पहले से शामिल नियमों और शर्तों के आधार पर किया जाएगा, जिसके आधार पर निविदाएं प्राप्त हुई हैं और निविदाकर्ताओं द्वारा अपनी निविदाओं में

उल्लिखित नियमों, शर्तों आदि के आधार पर किया जाएगा। निविदाओं की जांच और मूल्यांकन करते समय कोई नई शर्त नहीं लाई जाएगी।

15. किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का बैंक का अधिकार

बैंक किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और करार प्रदान करने से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे निविदाकर्ताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या कोई कारण नहीं बताया जाता है। इसके अलावा, सशर्त बोलियों को सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा।

F. करार संबंधी कार्य प्रदान किया जाना

16. करार की अवधि

- (a) करार संबंधी कार्य एक समय में एक-एक वर्ष, नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ या बिना, संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन, एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जिसे दो साल की एक और अवधि तक बढ़ाया जा सकता है।
- (b) बैंक से उसकी निविदा की स्वीकृति की सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता करार को लागू करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता करार की शर्तों (खंड - VII) और दरों की अनुसूची के अनुसार, खंड III में निर्दिष्ट करार के नियमों और शर्तों के अनुसार एक सप्ताह के भीतर एक करार पर हस्ताक्षर करेगा, जो अंत में आया है।

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश

A. सामान्य शर्तें

- I. निविदा दस्तावेज की पूर्णता के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।
- II. उद्धृत दरों के आंकड़ों और शब्दों के बीच किसी भी अंतर की स्थिति में, निविदा के मूल्यांकन के लिए शब्दों में दर पर विचार किया जाएगा।
- III. निविदाकर्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह निविदा दस्तावेज में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, शर्तों और विशिष्टताओं की जांच करे। निविदा दस्तावेज द्वारा आवश्यक सभी / किसी भी जानकारी या दस्तावेज को प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप निविदा की अस्वीकृति हो सकती है।

B. निविदाओं की अपात्रता/अस्वीकृति की ओर ले जाने वाली स्थितियाँ

- i. निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से या उनके चयन के संबंध में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने के लिए किसी भी प्रचार से प्रक्रिया से अपात्रता होगी। ऐसे निविदाकर्ता को कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाला जाएगा, जिसे तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अपात्रता तत्काल प्रभाव से होगी।
- ii. सभी निविदाएं सभी एनक्लोजर/अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियां या उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना, आदि को बैंक द्वारा सही और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- iii. फैक्स या ईमेल या निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस मामले पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- iv. निर्धारित ईएमडी/प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त बोली प्रस्तावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

- v. नियत तारीख और समय के बाद प्राप्त निविदाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- vi. सशर्त निविदाओं को सीधे खारिज कर दिया जाएगा, और कोई अतिरिक्त खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vii. निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के बाद कोई निविदा संशोधित नहीं की जा सकती है।
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि और निविदा में निविदाकर्ता द्वारा निर्दिष्ट निविदा वैधता अवधि की समाप्ति के बीच के अंतराल में कोई निविदा वापस नहीं ली जा सकती है। अंतराल के दौरान निविदा वापस लेने पर ईएमडी जब्त हो जाएगा।
- viii. वैकल्पिक प्रस्तावों/पूरा होने के समय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

C. विवाद समाधान

- I. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस निविदा के नियमों और शर्तों पर किसी भी/सभी विवादों के मामले में, निविदा दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा (यदि निविदा अंग्रेजी और किसी अन्य भाषा में एक साथ जारी की जाती है)।
- II. करार के तहत किसी भी प्रकार के सभी विवादों और मतभेदों को एकमात्र मध्यस्थ, अर्थात्, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी या महाप्रबंधक (प्रभारी), भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर को भेजा जाएगा और उसका निर्णय, लिखित रूप में, सेवा प्रदाता पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। हालांकि, किसी भी विवाद/मुद्दे के लिए, जिसे मध्यस्थता के माध्यम से हल नहीं किया गया है, कानूनी क्षेत्राधिकार केवल भुवनेश्वर होगा। किसी भी कानूनी विवाद को आपसी सहमति से निपटाने के लिए वैकल्पिक निपटान मोड का उपयोग किया जा सकता है।

D. अप्रत्याशित घटना

- I. इस दस्तावेज़ में निहित किसी भी चीज़ के बावजूद, कोई भी पक्ष इसके तहत अपने दायित्वों

को पूरा करने में किसी भी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, यदि इस तरह की देरी इसके उचित नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण होती है (जिसमें बिना किसी सीमा के सरकारों के कार्यों, अप्रत्याशित घटना, प्राकृतिक या सामाजिक आपदाओं, हड़ताल, किसी भी क्षेत्र में दंगे, नेटवर्क विफलता के कारण होने वाली कोई देरी शामिल है, आतंकवादी हमला, युद्ध (घोषित और अघोषित)) हालांकि प्रदान किया गया है कि पार्टी के आपूर्तिकर्ता द्वारा इस तरह की देरी से देरी करने से उस पक्ष को देरी के दायित्व से मुक्त नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह की देरी संबंधित आपूर्तिकर्ता के उचित नियंत्रण से बाहर है।

E. अस्वीकरण

- I. हालांकि इस दस्तावेज को तैयार करते समय पर्याप्त सावधानी बरती गई है, लेकिन निविदाकार खुद को संतुष्ट करेंगे कि दस्तावेज सभी तरह से पूर्ण है। किसी भी विसंगति की सूचना इस कार्यालय को तुरंत दी जाएगी। यदि एनआईटी की तारीख से सात (7) दिनों के भीतर किसी भी निविदाकर्ता से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि यह दस्तावेज सभी मामलों में पूर्ण है।
- II. बैंक सभी प्रारूपों और अनुलग्नकों सहित इस दस्तावेज को संशोधित करने, संशोधित करने या पूरक करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- III. हालांकि यह दस्तावेज अच्छे विश्वास में तैयार किया गया है, न तो बैंक और न ही उनके कर्मचारी या सूचना कार यहां किसी भी बयान या चूक के संबंध में, या सूचना की सटीकता, पूर्णता या विश्वसनीयता के संबंध में कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी, व्यक्त या निहित, या किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व को स्वीकार करते हैं, और किसी भी कानून के तहत कोई दायित्व नहीं होगा, इस दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में कानून, नियम या विनियम, भले ही कोई नुकसान या क्षति उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक के कारण हो।

F. गोपनीयता कथन

- I. इस निविदा दस्तावेज में निहित जानकारी या बाद में निविदाकर्ता (ओं) को प्रदान की गई जानकारी, चाहे मौखिक रूप से या बैंक की ओर से या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा या उसके किसी भी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई हो, इस निविदा दस्तावेज में निर्धारित नियमों और शर्तों और अन्य सभी नियमों और शर्तों के अधीन होगी, जिसके अधीन ऐसी जानकारी प्रदान की जाती है।
- II. इस निविदा दस्तावेज का उद्देश्य निविदाकर्ताओं को उनके प्रस्तावों के निर्माण में सहायता के लिए जानकारी प्रदान करना है।
- III. इस निविदा दस्तावेज में प्रत्येक निविदाकर्ता के लिए आवश्यक सभी जानकारी शामिल नहीं है।
- IV. यह निविदा दस्तावेज सभी व्यक्तियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, और बैंक और/या उसके कर्मचारियों के लिए निवेश के उद्देश्यों, वित्तीय स्थिति और प्रत्येक बोलीदाता की जरूरतों पर विचार करना संभव नहीं है जो इस निविदा दस्तावेज को पढ़ता है या उपयोग करता है।
- V. प्रत्येक निविदाकर्ता को अपनी जांच और विश्लेषण करना चाहिए और इस निविदा दस्तावेज में जानकारी की सटीकता, विश्वसनीयता और पूर्णता की जांच करनी चाहिए और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त स्रोतों से स्वतंत्र सूचना प्राप्त करनी चाहिए।
- VI. बैंक और कर्मचारी कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं और निविदा दस्तावेज की सटीकता, विश्वसनीयता या पूर्णता के रूप में किसी भी कानून, विधि, नियमों या विनियमों के तहत कोई दायित्व नहीं लेंगे।
- VII. यह दस्तावेज और उसमें प्रदान की गई जानकारी गोपनीय है और पूरी तरह से निविदाकर्ता

(ओं) के उपयोग के लिए अभिप्रेत है।

खंड III

नियम और शर्तें

1. कार्य का दायरा

निविदाकर्ता नियमित रूप से, सप्ताह में कम से कम एक बार या बैंक द्वारा आवश्यक होने पर, उस स्थान से उठाएगा जहां ब्रिकेट आरबीआई भुवनेश्वर में संग्रहीत किए जाते हैं और वहां से सामग्री के परिवहन की व्यवस्था करेगा। श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट को भंडारण क्षेत्र से कंटेनर ट्रकों तक उठाने के लिए मजदूरों की व्यवस्था और ब्रिकेट के परिवहन की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा की जानी है और इसकी लागत भी कंट्रक्टर द्वारा वहन की जाएगी।

2. प्रारंभ/नवीनीकरण

- i. निविदा की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, सफल निविदाकर्ता करार को निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा। सफल निविदाकर्ता निविदा दस्तावेज की शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर करार की शर्तों (खंड VII) के अनुसार प्रारूप में बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।
- ii. करार एक वर्ष की अवधि (01 अप्रैल, 2026 से 31 मार्च, 2027) के लिए वैध होगा, जिसे बैंक द्वारा अपने विकल्प पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ या बिना, संविदात्मक नियमों और शर्तों के संतोषजनक कार्यानिष्पादन के अधीन।
- iii. जब करार की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो करार के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा करार की समाप्ति से दो महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए करार को

नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

3. सेक्योरिटी डिपाजिट

करार के तहत दायित्वों के उचित कार्यनिष्पादन के लिए, बैंक द्वारा अवार्ड की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता एक राशि की सुरक्षा जमा प्रस्तुत करेगा, अर्थात्, कुल अनुमानित बिक्री मूल्य का 5% (यानी, ₹1,88,500/- (रुपये एक लाख अठ्ठासी हजार पांच सौ मात्र) खाता संख्या 186003001 में आईएफएससी-RBIS0BBPA01 में भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के पक्ष में होना चाहिए। प्रतिभूति जमा की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। करार अवधि पूरी होने पर बिना किसी ब्याज के सेक्योरिटी डिपाजिट वापस कर दी जाएगी। बैंक ठेकेदार से किसी भी बकाया बकाय/प्रत्यावर्तन की वसूली के लिए जमा राशि के उचित भाग या पूरी राशि का अधिकार सुरक्षित रखता है।

4. ठेकेदार के कर्तव्य

- i. वैधता अवधि पूरी होने तक करार को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।
- ii. ठेकेदार उन मजदूरों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिन्हें वह श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट उठाने के लिए नियुक्त करेगा और हाल ही में पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उनके पूरे नाम और पते देने चाहिए। ठेकेदार की ओर से यह अनिवार्य है कि वह करार शुरू होने से पहले पुलिस द्वारा उसके द्वारा लगाए गए सभी मजदूरों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन करवाए।
- iii. ठेकेदार बैंक परिसर में प्रवेश करते समय/बाहर निकलते समय अपने/अपने/श्रमिक/वाहनों के लिए उचित सुरक्षा पास प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि सभी लिखित सत्यापन/प्रमाणन वर्तमान और वैध होने चाहिए।

- iv. ठेकेदार बैंक परिसर में ब्रिकेट भंडारण यार्ड से ब्रिकेट को निरंतर आधार पर उठाने की व्यवस्था करेगा। इसलिए, ब्रिकेटिंग मशीन के पूरे कार्य घंटों/दिनों के दौरान ठेकेदार द्वारा श्रमिकों की आवश्यक संख्या उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार बैंक द्वारा आवश्यक होने पर नियमित रूप से श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट उठाएगा, बैंक में स्टैकिंग के स्थान से और वहां से सामग्री के परिवहन की व्यवस्था करेगा।
- v. ठेकेदार अपने खर्च पर पर्याप्त संख्या में बोरो और किसी भी प्रकार की आवश्यक पैकिंग सामग्री जैसे सतली आदि की व्यवस्था भी करेगा। बोरो अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए और प्रति बोरी लगभग 55 किलोग्राम ब्रिकेट (श्रेड किए हुए करेंसी नोट) उठाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए। बैंक परिसर में 350 से अधिक बैग जमा करने के लिए, बैंक, यदि ऐसा चाहता है, तो प्रति दिन ₹2,000/- (दो हजार रुपये मात्र) का जुर्माना वसूलेगा जब तक कि उन्हें बैंक के परिसर से बाहर नहीं उठाया जाता है। ठेकेदार द्वारा नोट ब्रिकेट उठाने में किसी और देरी के मामले में, बैंक अपने स्वयं के संसाधनों या किसी अन्य पार्टी द्वारा नोट ब्रिकेट को उठा सकता है, जिसकी लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।
- vi. ठेकेदार को अपनी लागत पर परिवहन के लिए निर्णय लेना होगा। परिवहन के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए, सभी करों का भुगतान किया जाना चाहिए और वैध परमिट के साथ होना चाहिए। तैनात चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
- vii. ठेकेदार करार को आगे नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा करार के किसी भी हिस्से को किराए पर नहीं देगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक करार को रद्द कर सकता

है और सेक्योरिटी डिपाजिट को जब्त कर सकता है।

- viii. श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेट को बैंक के एक अधिकारी की उपस्थिति में तौला जाएगा।
- ix. श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेटों का निपटान/उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाएगा और ठेकेदार को तिमाही आधार पर इस आशय का प्रमाण पत्र/वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रिकेट का निपटान केंद्र सरकार और/या किसी भी राज्य सरकार के प्रचलित अधिनियमों/नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण इसके निपटान से प्रदूषित न हो।
- x. श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट को गंतव्य तक ले जाते समय, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की कोई भी ब्रिकेट रास्ते में न गिरे या गलत/अनपेक्षित व्यक्तियों के कब्जे में न आए। यदि ठेकेदार स्वयं श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट के अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो ठेकेदार अंतिम उपयोगकर्ताओं के नाम और पते भी प्रस्तुत करेंगे।
- xi. कि ठेकेदार किसी भी अक्षमता, अक्षमता, लापरवाही या दोष या वस्तुओं को ले जाने में देरी के कारण या अपनी ओर से बेईमानी या कपटपूर्ण आचरण के किसी भी कार्य के कारण या उसके द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के कारण बैंक को किसी भी क्षति या हानि की प्रतिपूर्ति करेगा। बैंक द्वारा इस तरह के नुकसान का आकलन अंतिम होगा और ठेकेदार को उचित नोटिस के बाद उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी।
- xii. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस करार के प्रयोजनों के लिए या अन्यथा बैंक के भीतर आने और काम करने वाले ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी /भागीदार/सहयोगी आदि, बैंक का कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा और न ही करार अवधि के दौरान/बाद में बैंक परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अनधिकृत उद्देश्य के लिए उसे जारी किए गए सुरक्षा पास/पहचान का दुरुपयोग नहीं करेगा। ठेकेदार अपने कर्मियों/कामगारों को इस पहलू के बारे में शिक्षित करेगा और इस

खंड के उल्लंघन के कारण बैंक को कोई नुकसान होने की स्थिति में बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

- xiii. ठेकेदार ठेके के संबंध में अपने द्वारा लगाए गए मजदूरों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए अपनी लागत पर पर्याप्त बीमा कवर लेने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि करार/करार की अवधि के दौरान बीमा कवर को लागू रखा जाए।

5. भुगतान और कर

- I. ठेकेदार करार में उल्लिखित दरों पर राशि का भुगतान करेगा। उक्त शुल्क पूरी करार अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं। बैंक किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य राशि का भुगतान नहीं करेगा।
- II. उपर्युक्त 5 (i) में उल्लिखित राशि के अलावा, ठेकेदार श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट के निपटान/उठाने पर लागू करें जैसे जीएसटी, टीसीएस और अन्य करें (यदि कोई हो) को भी बैंक को भेजेगा।
- III. उठाए गए ब्रिकेट/श्रेड्स के वजन के लिए एनईएफटी द्वारा ठेकेदार द्वारा कुल भुगतान किया जाएगा। भुगतान सुबह 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे के बीच किया जाएगा। ब्रिकेट जारी करने के लिए गेट पास ठेकेदार से भुगतान प्राप्त होने पर ही जारी किया जाएगा।
- IV. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

6. विवादों का समाधान

पार्टियों के बीच निर्माण, अर्थ और संचालन या करार के प्रभाव (पार्टियों के बीच प्रविष्ट) या उसके उल्लंघन के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद या मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यदि, हालांकि, पार्टियां उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो विवाद की

प्रकृति का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए दूसरे पक्ष को लिखित रूप में 30 दिनों का नोटिस जारी करने के बाद किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता द्वारा इसका समाधान किया जाएगा। मध्यस्थता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी, और इसके अनुसरण में दिया गया निर्णय पार्टियों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण में दोनों पक्षों को स्वीकार्य एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा. असहमति के मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ शामिल होंगे, प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक मध्यस्थ और दो मध्यस्थों द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाने वाला तीसरा पीठासीन मध्यस्थ. कोई भी अपील भुवनेश्वर में अदालतों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी। मध्यस्थता का स्थान भुवनेश्वर में ही होगा। ठेकेदार मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान करार के तहत काम करना जारी रखेगा जब तक कि बैंक द्वारा लिखित रूप में अन्यथा निर्देशित न किया जाए या जब तक कि विवाद ऐसा न हो कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय प्राप्त होने तक काम जारी नहीं रखा जा सकता है।

7. अपात्रता/समाप्ति/जुर्माना

- i. इसे एक गंभीर कृत्य के रूप में माना जाएगा यदि कोई निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कोई प्रचार करने का प्रयास करता है या करार की जांच, तुलना, मूल्यांकन और अवार्ड पर बैंक के निर्णय के बारे में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास करता है। ऐसे मामले में, निविदाकर्ता की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी, इसके अलावा निविदाकर्ता को न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाला जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अपात्रता तत्काल प्रभाव से होगी।

- ii. बैंक ठेकेदार को दो महीने का नोटिस देने के बाद करार समाप्त कर सकता है। यदि एजेंसी करार समाप्त करना चाहती है, तो उसे बैंक को दो महीने का नोटिस देना चाहिए। यह एजेंसी के लिए बाध्यकारी है कि वह दो महीने की नोटिस अवधि के दौरान अनुबंधित गतिविधि को एकत्र करना जारी रखे, भले ही समाप्ति की सूचना का स्रोत कुछ भी हो।
- iii. निरंतर देरी/चूक के मामले में या ठेकेदार द्वारा सहमत शर्तों के अनुसार गतिविधि करने में किसी भी उल्लंघन के मामले में, बैंक को सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार होगा और इस बात के बावजूद कि ऊपर बताई गई अवधि समाप्त नहीं हुई है, डिफॉल्ट करने वाले पक्षों को वस्तुओं को बेचने का करार महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी द्वारा पार्टी को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से ऐसे अन्य पक्षों को वस्तुओं को बेचने का हकदार होगा, जो उसके बाद उचित समझे। क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
- iv. बार-बार देरी के मामले में या इस करार के किसी भी प्रावधान के ठेकेदार द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में, महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा माना जाता है कि जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त गंभीर माना जाता है, पूर्वोक्त महाप्रबंधक/प्रभारी उमप्र, प्रत्येक बार ठेकेदार पर रुपये 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) से अनधिक जुर्माना लगाया जा सकता है और ठेकेदार से इसकी वसूली की जा सकती है।
- v. सभी निविदाएं सभी एनक्लोजर/अनुलग्नकों के साथ सभी प्रकार से पूर्ण होनी चाहिए। अपूर्ण प्रपत्र, या निर्धारित प्रारूप के अलावा किसी अन्य प्रारूप में प्राप्त बोलियां या उचित दस्तावेजी साक्ष्य के बिना, आदि को बैंक द्वारा सही और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।

- vi. फैक्स या ईमेल या निर्दिष्ट के अलावा किसी अन्य तरीके से प्राप्त निविदाओं को स्वीकार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस मामले पर किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- vii. निर्धारित ईएमडी/प्रोसेसिंग शुल्क के बिना या उससे कम प्राप्त बोली प्रस्तावों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- viii. सशर्त निविदाओं को सीधे खारिज कर दिया जाएगा, और कोई अतिरिक्त खंड पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. कानूनों का अनुपालन

- i. ठेकेदार को भारत और ओड़िशा में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करना होगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।
- ii. ठेकेदार मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों और ओड़िशा में लागू विभिन्न राज्यों के नियमों का पालन करेगा।
- iii. ठेकेदार को प्रचलित कानून के अनुसार अद्यतन किए गए सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को बनाए रखना होगा और जब भी मांगे जाने पर प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- iv. ठेकेदार को लागू सभी श्रम कानूनों, विशेष रूप से ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का पालन करना होगा; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948; कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम, 1952; ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम,

1972; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; (ख) सरकार ने न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 और ओड़िशा मोटर यान अधिनियम और नियमों के तहत समय-समय पर लागू सभी सांविधिक भुगतान किए हैं। ठेकेदार सरकारी प्राधिकारियों द्वारा सत्यापन/जांच के लिए जब भी आवश्यक हो, बैंक को अपनी पुस्तकें, रजिस्टर, दस्तावेज और प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करेगा।

- v. ठेकेदार को ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की खंड 12(1) और ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार लाइसेंस प्राप्त करना होगा और उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधानों/अपेक्षाओं का भी अनुपालन करना होगा।
- vi. यदि प्रधान नियोक्ता के रूप में बैंक को लागू किसी भी कानून के संदर्भ में ठेका श्रमिकों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में ठेकेदार की ओर से चूक के कारण ठेकेदार द्वारा नियुक्त ठेका श्रमिकों को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो ठेकेदार बैंक द्वारा भुगतान की गई ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बैंक को उत्तरदायी होगा और ऐसी राशि ठेकेदार से बैंक को देय ऋण के रूप में ठेकेदार से बैंक द्वारा वसूल की जाएगी।
- vii. कॉन्ट्रैक्टर बैंक को किसी भी क्लेम, डिमांड, एक्शन या कार्यवाही से होने वाले नुकसान से बचाएगा और हमेशा सुरक्षित रखेगा, जो बैंक के खिलाफ किए जा सकते हैं या जो बैंक को कॉन्ट्रैक्टर द्वारा किए गए किसी भी काम के कारण या कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) एक्ट, 1970 और सेंट्रल रूल्स, 1971 या किसी अन्य कानून/एक्ट के तहत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में कॉन्ट्रैक्टर की तरफ से होने वाली किसी भी वजह से हो सकते हैं।

9. गैर-प्रकटीकरण खंड

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों/प्रथाओं आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्व का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी तीसरे पक्ष को और हर समय समान सख्त विश्वास रखेगा। ठेकेदार करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्व को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ठेकेदार बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से करार के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और बैंक हर्जाने का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने का दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट है। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

10. यौन उत्पीड़न खंड

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दायर की जाएगी, जो उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी।

ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे घटना में उसके कर्मचारियों को शामिल होने पर भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

खंड IV

भाग-I-तकनीकी बोली

बोली फॉर्म

(नोट- ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरकर अपलोड किया जाना है)

क्र.	विवरण	बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत जानकारी		
1.	निविदाकर्ता का नाम			
2.	निविदाकर्ता यदि कोई कंपनी, पार्टनरशिप फर्म हो या प्रोपराइटरशिप इकाई			
3.	उन व्यक्तियों के नाम और पदनाम जो अनुबंध को निष्पादित करने के लिए अधिकृत हैं।			
4.	पंजीकृत पता और संपर्क पता का कंपनी/साझेदारी फर्म/स्वामित्व इकाई			
5.	टेलीफोन नंबर	ऑफिस	निवास	मोबाइल
6.	ई-मेल आईडी			
7.	फैक्स नंबर			
8.	नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निविदाकर्ता के कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि का पता			

	भुवनेश्वर	
9.	इसी तरह का काम करने का अनुभव (वर्षों की संख्या) (ग्राहक प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने हैं)	
10.	बैंक खाता विवरण: – बैंक का नाम शाखा का पता खाते की प्रकृति खाता संख्या आईएफएससी कोड (रद्द किए गए चेक की प्रति संलग्न की जानी है)	
11.	स्थायी खाता संख्या (संलग्न किया जाना है)	
12.	जीएसटीआईएन (संलग्न किया जाना है)	

13. उन संस्थानों का विवरण जिनके साथ निविदाकर्ता ने समान करार किए हैं (उसके समर्थन में दस्तावेज/प्रमाण पत्र संलग्न किए जा सकते हैं)

क्रमांक	संस्था का नाम	पता और टेलीफोन नंबर (प्रासंगिक दस्तावेज)	करार की अवधि	किए गए कार्य का वास्तविक मूल्य संस्था में

14.(क) क्या निविदाकर्ता को भारतीय रिज़र्व बैंक या राज्य/केंद्र सरकार के विभाग द्वारा कभी काली सूची में डाला गया है? - हाँ/नहीं

(यदि फर्म या उसके निदेशकों को आरबीआई द्वारा आवेदन करने या काली सूची में डालने से रोक दिया गया है या किसी आपराधिक अदालत द्वारा दोषी ठहराया गया है, तो उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है)।

(ख) क्या फर्म या उसके निदेशकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय में लंबित है? - हाँ/नहीं

यदि हाँ, तो विवरण दें (एक अलग शीट संलग्न की जा सकती है)

15. क्या करार के नियम और शर्तें निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं? –

- हाँ/नहीं

यदि हां, तो इस निविदा दस्तावेज के अनुभाग- III में दिए गए करार के नियमों और शर्तों की एक प्रति, प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित, निविदा के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए।

16 भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के खाते में एनईएफटी के माध्यम से जमा बयाना राशि का विवरण

एनईएफटी विवरण: IFS Code - RBIS0BBPA01 ('0' दोनों स्थानों पर शून्य है)

खाता संख्या 186003001 (Earnest money deposit received A/c)

राशि: ₹75,400/- (रुपये पचहत्तर हजार चार सौ मात्र)

17. घोषणा

- a. मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और सही है और यदि उनमें से कोई भी बाद में गलत साबित होती है, तो बैंक कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है जो वह उचित समझे।
- b. मैं/हम समझते हैं कि यदि मुझे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो हमारी निविदा किसी भी स्तर पर अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है और इस संबंध में आरबीआई का निर्णय अंतिम होगा।

कंपनी/पार्टनरशिपफर्म/मालिकाना कंपनी के अधिकृत अधिकारी का नाम:

हस्ताक्षर (कंपनी/साझेदारी फर्म/मालिकाना इकाई की मुहर के साथ/):

दिनांक:

गवाह :

1. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

2. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

खंड V

भाग-I-तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- I. इसी तरह के कार्यों को करने के अनुभव प्रमाण पत्र / कार्य आदेशों की प्रति।
- II. निविदा दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के नाम पर कंपनी/फर्म की मुहर के साथ पावर ऑफ अटॉर्नी/प्राधिकार।
- III. जिसमें यह वचन दिया गया हो कि निविदाकर्ता किसी बैंक/वित्तीय संस्था का जानबूझकर चूककर्ता नहीं है और कंपनी/व्यक्ति के विरुद्ध कोई आपराधिक मामला नहीं है।
- IV. स्व-सत्यापित स्थायी खाता संख्या (पैन) और जीएसटीआईएन की प्रतियां।
- V. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आईटी रिटर्न की प्रतियां/पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए सीए प्रमाणित लेखापरीक्षित तुलन पत्र।
- VI. दस्तावेज यह दर्शाता है कि निविदाकर्ता के पास भुवनेश्वर के नगरपालिका क्षेत्र के भीतर एक कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि है।
- VII. आवेदक द्वारा करार के नियमों और शर्तों (खंड III में निहित) की स्वीकृति, निविदाकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित उसी की एक प्रति जमा करके।
- VIII. एनईएफटी के माध्यम से आरबीआई, भुवनेश्वर खाते में जमा बयाना राशि की सूचना।
- IX. बैंकर के रद्द किए गए चेक की प्रति
- X. किए गए कार्य के लिए ग्राहक प्रमाण पत्र अनुलग्नक-I के अनुसार प्रस्तुत किया जा सकता है
- XI. विधिवत हस्ताक्षरित निविदा भाग- I (खंड I से VI) और भाग- II

- XII. बोलीदाता अपने बैंकर (एक अनुसूचित बैंक) द्वारा ₹37,70,000/- (रुपये सैंतीस लाख सत्तर हजार केवल) की सीमा तक किसी भी कार्यनिष्पादन के लिए जारी किया गया सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में प्रस्तुत करेंगे। भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनपत्र / घोषणा / प्रमाण पत्र का प्रपत्र (अनुलग्नक-IV)

नोट: उपरोक्त सभी दस्तावेजों को ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से बोलियां जमा करते समय तकनीकी बोली के साथ निविदाकर्ता द्वारा प्रस्तुत/अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता द्वारा उपर्युक्त में से किसी भी दस्तावेज को प्रस्तुत न करने की स्थिति में, निविदा को बैंक के विवेकाधिकार पर भाग-I में अपात्र माना जाएगा।

अनुलग्नक-।

ग्राहक का प्रमाण पत्र - ठेकेदार का कार्यनिष्पादन

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

भुवनेश्वर - 751001

प्रिय महोदय,

मैसर्स _____ के कार्यनिष्पादन के संबंध में ग्राहक का प्रमाण पत्र

i.	संक्षिप्त विवरण के साथ कार्य का नाम	
ii.	करार संख्या और तारीख	
iii.	करार की राशि	
iv.	कार्य प्रारंभ होने की तिथि	
v.	पूरा होने की निर्धारित तिथि	
vi.	पूरा होने की वास्तविक तिथि	
vii.	विलंब के लिए लगाए गए मुआवजे का विवरण (राशि इंगित करें), यदि कोई हो	
viii.	पूर्ण किए गए और भुगतान किए गए कार्य की सकल राशि	
ix.	उस प्राधिकरण का नाम और पता जिसके तहत कार्य निष्पादित किया गया है	
x.	क्या ठेकेदार ने कार्य के निष्पादन के दौरान योग्य इंजीनियर/ओवरसियर को नियुक्त किया है	

xi.	i) काम की गुणवत्ता (ग्रेडिंग का संकेत)	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
xii.	ii) कम दरों पर भुगतान किए गए कार्य की राशि, यदि कोई हो।	
xiii.	i) क्या ठेकेदार मध्यस्थता के लिए गया था?	
xiv.	ii) यदि हां, तो कुल दावा की गई राशि	
xv.	iii) प्रदान की गई कुल राशि	
xvi.	ठेकेदार की क्षमताओं पर टिप्पणियाँ	
xvii.	a) तकनीकी प्रवीणता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
xviii.	b) वित्तीय सुदृढ़ता	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
xix.	c) पर्याप्त टी एंड पी जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
xx.	d) जनशक्ति जुटाना	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब
xxi.	e) सामान्य व्यवहार	उत्कृष्ट/बहुत अच्छा/अच्छा/संतोषजनक/खराब

नोट: सभी कॉलम ठीक से भरे जाने चाहिए।

कार्यालय मुहर के साथ रिपोर्टिंग अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम:-

पदनाम:-

संपर्क नंबर: -

अनुलग्नक-II

अनुसूचित बैंक से बैंकरो के प्रमाण पत्र का रूप

प्रति

क्षेत्रीय निदेशक

भारतीय रिज़र्व बैंक

पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्ग

भुवनेश्वर-751001

यह प्रमाणित करने के लिए है कि हमारी सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार मैसर्स श्री -----
----- जिसका -----
-----, पता है, वे हमारे बैंक वर्ष _____ से
_____ का ग्राहक हैं और सम्मानजनक कारोबार इकाई है और इसे ₹37,70,000/-
(रुपये सैंतीस लाख सत्तर हजार केवल) की सीमा तक किसी भी कार्यनिष्पादन के लिए अच्छा माना जा सकता
है। यह प्रमाण पत्र बैंक या किसी भी अधिकारी पर बिना किसी गारंटी या जिम्मेदारी के जारी किया जाता है।
आपके अवलोकन और रिकॉर्ड के लिए अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्रम संख्या	व्यक्ति	बैंक की टिप्पणियाँ
1	फर्म की संरचना (चाहे प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी)	
2	फर्म के प्रोपराइटर/सभी पार्टनर/सभी निदेशकों का नाम	
3	बैंक से फर्म द्वारा प्राप्त क्रेडिट सुविधा/ओवरड्राफ्ट सुविधा, यदि कोई हो	

4	फर्म के बैंक खातों के साथ लेन-देन में अनियमितताएं, यदि कोई हों	
5	नवीनतम लेखापरीक्षित बैलेंस शीट के अनुसार निवल मूल्य	
6	कोई अन्य टिप्पणी	

(हस्ताक्षर)

बैंक की ओर से

संपर्क नंबर (अनिवार्य फ़ील्ड):

संपर्क ईमेल पता (अनिवार्य फ़ील्ड):

स्थान:

दिनांक:

नोट:

1. बैंकों का प्रमाण पत्र बैंक के लेटरहेड पर होना चाहिए।
2. साझेदारी फर्म के मामले में, बैंक के साथ दर्ज किए गए सभी भागीदारों के नाम शामिल करने के लिए प्रमाण पत्र।

अनुलग्नक-III

हस्ताक्षर करने के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी का प्रारूप आवेदन/प्रस्ताव

(उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर)

इन प्रस्तुतियों से सभी पक्षों को सूचित किया जाता है, हम
.....(बोलीदाता का नाम और उनके पंजीकृत कार्यालय का पता) इसके द्वारा श्रीमान/सुश्री
..... (पावर ऑफ अटॉर्नी धारक का नाम और
आवासीय पता) का गठन, नियुक्ति और प्राधिकरण करते हैं, जो वर्तमान में हमारे साथ कार्यरत हैं और
..... का पद धारण कर रहे हैं।

हमारे वकील के रूप में, हमारे नाम से और हमारी ओर से, भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए मदद संविदा के
आधार पर _____ के लिए हमारी बोली के संबंध
में या उससे संबंधित सभी ऐसे कार्य और चीजें करना, जिसमें सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना और
आरबीआई को सूचना / प्रतिक्रियाएं प्रदान करना, आरबीआई के समक्ष सभी मामलों में हमारा प्रतिनिधित्व
करना और आम तौर पर उक्त परियोजना के लिए हमारे प्रस्ताव के संबंध में सभी मामलों में आरबीआई
के साथ व्यवहार करना शामिल है।

हम इस पावर ऑफ अटॉर्नी के तहत हमारे अटॉर्नी द्वारा कानूनी तौर पर किए गए सभी कामों, कामों और
चीजों को मंजूरी देने के लिए सहमत हैं और हमारे ऊपर बताए गए अटॉर्नी द्वारा किए गए सभी कामों,
कामों और चीजों को हमेशा हमारे द्वारा किया गया माना जाएगा।

टिप्पणी:

पावर ऑफ अटॉर्नी पर ठीक से स्टैम्प और नोटराइज़ होना चाहिए।
दिया गया पावर ऑफ अटॉर्नी अपरिवर्तनीय होगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

नाम

बोलीदाता की मुहर/सील

(नोट: इस गारंटी के लिए उस राज्य के हिसाब से स्टाम्प ऊट्टी लगेगी, जहाँ इसे बनाया गया है और इस पर उस अधिकारी का हस्ताक्षर होगा जिसके हस्ताक्षर और अथॉरिटी को वेरिफाई किया जाएगा)।

अनुलग्नक-IV

भारत के साथ देश की भूमि सीमा साझा करने के संबंध में बोलीदाता द्वारा वचनपत्र / घोषणा / प्रमाण पत्र के लिए कार्यनिष्पादन

(बोलीदाताओं द्वारा अपने लेटरहेड पर विधिवत सील और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत
किया जाना है)

प्रति,
क्षेत्रीय निदेशक
भारतीय रिज़र्व बैंक
निर्गम विभाग,
भुवनेश्वर- 751001

कार्य का नाम: भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में श्रेड की हुई करेंसी नोटों की बिक्री के लिए निविदा

प्रिय महोदय,

मैं/हम (नाम और पता, बोलीदाता के स्थान के देश सहित) ने 23 जुलाई, 2020 को
कार्यालय ज्ञापन (ओएम) एफ. संख्या 6/18/2019-पीपीडी की सामग्री को पढ़ा और समझा है और सार्वजनिक
प्रोक्योरमेंट प्रभाग, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी इसके बाद के आदेशों/संशोधनों को
भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से प्रोक्योरमेंट पर प्रतिबंध के संबंध में पढ़ा
और समझा है।

2. मैं/हम प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम)

- i. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से नहीं है, या
- ii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है और सक्षम प्राधिकारी के साथ पंजीकृत है,
जिसका प्रमाण पत्र संलग्न है, या
- iii. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार ने ऋण की लाइनों का

विस्तार किया है, या

iv. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से है जहां भारत सरकार विकास परियोजनाओं में लगी हुई है। (उपरोक्त में से जो भी लागू नहीं है, स्ट्राइकआउट करें)।

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि (बोलीदाता का नाम) इस संबंध में सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन और इसके बाद के आदेशों/संशोधन के प्रावधान के तहत विचार किए जाने के लिए पात्र है। मैं/हम यह भी कार्य करते हैं कि मैं/हम (बोलीदाता का नाम) ऐसे देश (देशों) के ठेकेदार को किसी भी कार्य को सबलेट नहीं करेगा जब तक कि ऐसा ठेकेदार उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन/आदेश के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है।

4. मैं/हम समझ गए हैं कि, यदि हमारे द्वारा प्रस्तुत यह वचनपत्र/घोषणा/प्रमाण पत्र गलत पाया जाता है, तो बैंक हमारी निविदा/कार्य आदेश को समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। बैंक कानून के अनुसार कोई भी कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए स्वतंत्र होगा, जिसमें बयाना धन जमा / कार्यनिष्पादन बैंक गारंटी / सुरक्षा जमा को जब्त करना और/या भविष्य में बैंक द्वारा आमंत्रित निविदाओं में भाग लेने से हमें प्रतिबंधित करना शामिल है।

रबर स्टैम्प के साथ फर्म के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और नाम

दिनांक:

स्थान:

भाग- I (तकनीकी बोली) का मूल्यांकन: तकनीकी विवरण

पात्रता मानदंड

इस दस्तावेज़ में पहले निर्धारित पात्रता मानदंडों को तकनीकी बोली पर विचार करने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, निम्नलिखित मानदंडों पर भी विचार किया जाएगा।

क्रमांक	तकनीकी मूल्यांकन के पैरामीटर	क्या पैरामीटर को पूरा करना/ आवश्यक दस्तावेज जमा करना (हां नहीं)	क्या निविदा भाग-I के अर्हता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं	टिप्पणियां
1.	इसी तरह के कार्यों को करने में कम से कम तीन साल का अनुभव।			
2.	क्या बोलीदाता ने पिछले तीन वर्षों में इसी तरह की सेवाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित/पूरा किया है, - a. तीन समान पूर्ण सेवाओं की लागत अनुमानित लागत के 40% (चालीस प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या B. दो समान पूर्ण सेवाओं की लागत अनुमानित लागत के 50% (पचास प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं है; या ग. अनुमानित लागत के 80% (अस्सी प्रतिशत) के बराबर राशि से कम नहीं होने वाली एक समान पूर्ण सेवा।			
3.	पिछले तीन वर्षों के दौरान करार की अनुमानित लागत			

	का कम से कम 30% का न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार - लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।			
4.	सकारात्मक निवल मूल्य - बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित सॉल्वेंसी प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना है।			
5.	क्या बोलीदाता या संबद्ध फर्मों को कभी भी भारतीय रिज़र्व बैंक या राज्य/केंद्र सरकार द्वारा सूची से हटा दिया गया है विभाग ?			
6.	क्या फर्म या उसके निदेशकों के खिलाफ कोई कार्यवाही किसी अदालत में लंबित है?			
7.	क्या निविदा दस्तावेज की खंड- II से VI में दिए गए करार के नियम और शर्तें निविदाकर्ता को स्वीकार्य हैं? यदि हाँ, तो प्रत्येक पृष्ठ पर विधिवत हस्ताक्षरित उसी की एक प्रति होनी चाहिए प्रस्तुत किया गया।			
8.	क्या बोलीदाता द्वारा बैंक में रुपये 75,400/- (रुपये पचहत्तर हजार चार सौ मात्र) की बयाना राशि जमा की गई है? यदि हां, तो एनईएफटी विवरण की एक प्रति संलग्न की जानी चाहिए।			
9.	क्या बोलीदाता के पास भुवनेश्वर नगर निगम क्षेत्र के भीतर कोई कार्यालय/स्थानीय प्रतिनिधि है?			

उपर्युक्त मूल्यांकन मानदंडों को पूरा करने वाली निविदाएं ही निविदा के भाग-I में अर्हता प्राप्त करेंगी और भाग- II अर्थात मूल्य बोली के लिए पात्र होंगी। हालांकि, बैंक अपने विवेकाधिकार के तहत किसी भी मानदंड को शिथिल करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जो सभी पर लागू होता है।

खंड - VI भाग - II (मूल्य बोली)

श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेट की बिक्री के लिए उद्धृत दरें

क्रमांक	प्रकार	मापन की इकाई	प्रति किलोग्राम दर (लागू करों को छोड़कर) ₹ में (शब्दों और आंकड़ों में)
1.	'जैसा है, जहां है' के आधार पर बड़ी मात्रा में श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेटों की बिक्री। इस कार्य में ब्रिकेट इकट्ठा करने/उठाने के लिए श्रमिकों को उपलब्ध कराना, पर्याप्त संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाले गन्नी बैग (प्रति बोरी लगभग 55 किलोग्राम ब्रिकेट उठाने के लिए उपयुक्त) की प्रोक्योरमेंट करना और अपने खर्च पर श्रेड किए हुए करेंसी नोट ब्रिकेट के परिवहन की व्यवस्था करना शामिल है।	किलोग्राम	

निविदाकर्ताओं द्वारा उद्धृत दरों को उच्चतम (H1) बोलीदाता तक पहुंचने के लिए बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाएगा।

मूल्य बोली के लिए नोट्स :-

1. ठेकेदार द्वारा ब्रिकेट के वजन के लिए भुगतान किया जाएगा, जब भी उसके द्वारा उठाया

जाएगा।

- II. ऊपर उल्लिखित भुगतान के अलावा, ठेकेदार श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट के निपटान/उठाने पर लागू करें जैसे जीएसटी, अन्य कर (यदि कोई हो) का भी भुगतान करेगा।
- III. उद्धृत दर केंद्र/राज्य सरकार/स्थानीय निकायों आदि द्वारा लगाए गए सभी करों, शुल्कों, शुल्कों को छोड़कर होगी। श्रेड किए हुए करेंसी नोट ब्रिकेट के निपटान पर सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी कर/शुल्क/लेवी को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।
- IV. उद्धृत दर करार की तारीख से तीन साल की अवधि के लिए लागू होगी।

(ऊपर दी गई मूल्य बोली का प्रोफार्मा केवल आपके संदर्भ के लिए है। मूल्य बोली केवल एमएसटीसी ई-टेंडरिंग पोर्टल में भरी जाएगी)

कंपनी/फर्म के अधिकृत अधिकारी का नाम और पता:

हस्ताक्षर (कंपनी/फर्म की मुहर के साथ):

दिनांक:

गवाह :

1. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

2. हस्ताक्षर:

नाम:

पता:

खंड- VII
करार की शर्तें

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर में श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेट की बिक्री के लिए करार

भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के बीच -----दो हजार और छब्बीस महीने के _____ दिन को किए गए करार की शर्तें जिसका केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है - 400 001 (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित) और दिनांक माह के अनुसार व्यवसाय करने वाले ठेकेदार का नाम ठेकेदार के पते पर पंजीकृत कार्यालय होने के कारण (इसके बाद दूसरे भाग का "ठेकेदार" कहा जाता है)। जबकि बैंक भुवनेश्वर कार्यालय में श्रेड की हुई करेंसी नोटों की ब्रिकेट की बिक्री का काम सौंपने का इच्छुक है, जिसमें निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों में उल्लिखित कार्य का वर्णन किया गया है, और जबकि ठेकेदार निविदा/उद्धरण/यहां निर्धारित शर्तों के अधीन निष्पादित करने के लिए सहमत हो गया है (जिनमें से सभी सामूहिक रूप से इसके बाद "उक्त शर्तें" के रूप में संदर्भित होंगी) **एच1 बोलीदाता द्वारा दिनांक-माह, 2026 से दिनांक-माह, 2027 तक की अवधि के लिए निर्धारित प्रति किलोग्राम दर** पर उद्धरण/कार्य आदेश/उसमें प्राप्त अनुसार या ऐसी अन्य राशि जो उसके तहत देय हो जाएगी, जैसा कि उद्धृत दर पर "उक्त शर्तें" के रूप में संदर्भित है।

अब यह पारस्परिक रूप से सहमत है और इस प्रकार घोषित किया गया है:

A. प्रारंभ/नवीनीकरण

1. निविदा की स्वीकृति के बारे में बैंक से सूचना प्राप्त होने पर, ठेकेदार करार को निष्पादित करने और कार्यान्वित करने के लिए बाध्य होगा। ठेकेदार निविदा दस्तावेज में उक्त शर्तों और दरों की अनुसूची के अनुसार एक सप्ताह के भीतर बैंक के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।
2. करार एक वर्ष (**दिनांक-माह, 2026 से दिनांक-माह, 2027 तक**) के लिए वैध होगा, जिसे बैंक द्वारा अपने विकल्प पर दो साल की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है, एक बार में एक-एक वर्ष के लिए नियम और शर्तों में किसी भी बदलाव के साथ या बिना, संविदात्मक नियमों और शर्तों के

संतोषजनक कार्यनिष्पादन के अधीन।

3. जब करार की अवधि समाप्त होने वाली होती है, तो करार के विस्तार के मामले पर बैंक द्वारा विचार किया जा सकता है। मौजूदा करार की समाप्ति से दो महीने पहले, ठेकेदार बैंक को लिखित रूप में प्रदान करेगा कि क्या वह मौजूदा नियमों और शर्तों पर एक और अवधि के लिए करार को नवीनीकृत करने के लिए तैयार है।

B. सेक्योरिटी डिपोजिट

करार के तहत दायित्वों के उचित कार्यनिष्पादन के लिए, बैंक द्वारा अवार्ड की अधिसूचना जारी होने के 10 दिनों के भीतर, सफल बोलीदाता भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के पक्ष में खाता संख्या 186003001, आईएफएससी-RBIS0BBPA01 में एक राशि की सेक्योरिटी डिपोजिट, यानी कुल अनुमानित करार राशि का 5% (यानी, ₹1,88,500/-) प्रस्तुत करेगा। प्रतिभूति जमा की राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। करार अवधि पूरी होने पर बिना किसी ब्याज के प्रतिभूति जमा राशि वापस कर दी जाएगी, बैंक ठेकेदार से किसी भी बकाया बकाया/प्रत्यावर्तन की वसूली के लिए जमा राशि के उचित भाग या पूरी राशि का अधिकार सुरक्षित रखता है

C. ठेकेदार के कर्तव्य

1. वैधता अवधि पूरी होने तक करार को सफलतापूर्वक निष्पादित करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। यदि ठेकेदार सौंपे गए कार्य को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी। इसके अलावा, ठेकेदार को अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को किसी भी प्रकार के नुकसान से क्षतिपूर्ति करनी चाहिए और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।
2. ठेकेदार उन मजदूरों की एक सूची प्रस्तुत करेगा, जिन्हें वह श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट उठाने के लिए नियुक्त करेगा और हाल ही में पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ उनके पूरे नाम और पते देने चाहिए। ठेकेदार की ओर से यह अनिवार्य है कि वह करार शुरू होने से पहले पुलिस द्वारा अपने द्वारा लगाए गए सभी मजदूरों के पूर्ववृत्त और चरित्र का सत्यापन करवा ले।

3. ठेकेदार बैंक परिसर में प्रवेश करते समय/बाहर निकलते समय अपने/अपने/श्रमिक/वाहनों के लिए उचित सुरक्षा पास प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा। यह उसकी जिम्मेदारी होगी कि सभी लिखित सत्यापन/प्रमाणन वर्तमान और वैध होने चाहिए।
4. ठेकेदार बैंक परिसर में ब्रिकेट भंडारण यार्ड से ब्रिकेट को निरंतर आधार पर उठाने की व्यवस्था करेगा। इसके अलावा, ठेकेदार बैंक द्वारा आवश्यक होने पर नियमित रूप से श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट उठाएगा, बैंक में स्टैकिंग के स्थान से और वहां से सामग्री के परिवहन की व्यवस्था करेगा।
5. ठेकेदार अपने खर्च पर पर्याप्त संख्या में बोरियों की व्यवस्था भी करेगा। बोरे अच्छी गुणवत्ता के होने चाहिए और प्रति बोरी लगभग 55 किलोग्राम ब्रिकेट (श्रेड किए हुए करेंसी नोट) उठाने के लिए उपयुक्त होने चाहिए। बैंक परिसर में 350 से अधिक बैग जमा करने के लिए, बैंक, यदि ऐसा चाहता है, तो प्रति दिन ₹2,000/- (दो हजार रुपये मात्र) का जुर्माना वसूलेगा जब तक कि उन्हें बैंक के परिसर से बाहर नहीं उठाया जाता है। ठेकेदार द्वारा नोट ब्रिकेट उठाने में किसी और देरी के मामले में, बैंक अपने स्वयं के संसाधनों या किसी अन्य पक्ष द्वारा नोट ब्रिकेट को उठवा सकता है, जिसकी लागत ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।
6. ठेकेदार को अपनी लागत पर परिवहन के लिए निर्णय लेना होगा। परिवहन के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को बीमा द्वारा कवर किया जाना चाहिए, सभी करों का भुगतान किया जाना चाहिए और वैध परमिट के साथ होना चाहिए। तैनात चालक के पास एक वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जिसे यातायात कर्मियों द्वारा मांग किए जाने पर उसके द्वारा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर उसके ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कराने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
7. ठेकेदार करार को आगे किसी और पक्ष को नहीं सौंपेगा। वह बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा करार के किसी भी हिस्से को सबलेट नहीं करेगा। इस शर्त के उल्लंघन के मामले में, बैंक

करार को रद्द कर सकता है और सेक्योरिटी डिपाजिट को जब्त कर सकता है।

8. श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेट को बैंक के एक अधिकारी की उपस्थिति में तौला जाएगा।
9. श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की ब्रिकेटों का निपटान/उपयोग पर्यावरण के अनुकूल तरीके से किया जाएगा और ठेकेदार को तिमाही आधार पर इस आशय का प्रमाण पत्र/वचन पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि ब्रिकेट का निपटान केंद्र सरकार और/या किसी भी राज्य सरकार के प्रचलित अधिनियमों/नियमों/विनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यावरण इसके निपटान से प्रदूषित न हो।
10. श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट को गंतव्य तक ले जाते समय, ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि श्रेड किए हुए करेंसी नोटों की कोई ब्रिकेट रास्ते में न गिरे या गलत/अनभिप्रेत व्यक्तियों के कब्जे में न आए। यदि ठेकेदार स्वयं श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेट के अंतिम उपयोगकर्ता नहीं हैं, तो ठेकेदार अंतिम उपयोगकर्ताओं के नाम और पते भी प्रस्तुत करेंगे।
11. कि ठेकेदार किसी भी अक्षमता, अक्षमता, लापरवाही या दोष या वस्तुओं को ले जाने में देरी के कारण या अपनी ओर से बेईमानी या कपटपूर्ण आचरण के किसी भी कार्य के कारण या उसके द्वारा लगाए गए कर्मचारियों के कारण बैंक को किसी भी क्षति या हानि की प्रतिपूर्ति करेगा। बैंक द्वारा इस तरह के नुकसान का आकलन अंतिम होगा और ठेकेदार को उचित नोटिस के बाद उसे नुकसान की भरपाई करनी होगी।
12. यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस करार के प्रयोजनों के लिए या अन्यथा बैंक के भीतर आने और काम करने वाले ठेकेदार का कोई भी कर्मचारी/कर्मचारी/भागीदार/सहयोगी आदि, भारतीय रिज़र्व बैंक का कर्मचारी होने का दावा नहीं करेगा और न ही करार अवधि के दौरान/बाद में बैंक परिसर के भीतर या बाहर किसी भी अनधिकृत उद्देश्य के लिए उसे जारी किए गए सुरक्षा पास/पहचान का दुरुपयोग नहीं करेगा। ठेकेदार अपने कर्मियों/कामगारों को इस पहलू के बारे में शिक्षित करेगा और इस खंड के उल्लंघन के कारण बैंक को कोई नुकसान होने की स्थिति में बैंक को क्षतिपूर्ति करेगा।

13. ठेकेदार ठेके के संबंध में अपने द्वारा लगाए गए श्रमिकों को होने वाली व्यक्तिगत चोटों के लिए अपनी लागत पर पर्याप्त बीमा कवर लेने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा और वह यह सुनिश्चित करेगा कि करार की अवधि के दौरान बीमा कवर को मान्य रखा जाए।

D. भुगतान और कर

1. ठेकेदार करार में उल्लिखित दरों पर राशि का भुगतान करेगा। उक्त शुल्क पूरी करार अवधि के लिए निर्धारित किए जाते हैं। दर किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलेगी।
2. उपर्युक्त डी(1) में लिखित राशि के अलावा, ठेकेदार श्रेड किए हुए करेंसी नोटों के ब्रिकेटों के निपटान/उठाने पर जीएसटी, टीसीएस और अन्य करों (यदि कोई हो) जैसे लागू करों को भी बैंक को भेजेगा।
3. ठेकेदार प्रति किलोग्राम नोट ब्रिकेट के लिए **एक राशि (एच 1 बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर)** का भुगतान करेगा।
4. उठाए गए ब्रिकेट/टुकड़ों के वजन के लिए एनईएफटी द्वारा ठेकेदार द्वारा कुल भुगतान किया जाएगा। भुगतान 10:00 पूर्वाह्न से दोपहर 2:00 बजे के बीच किया जाएगा। ठेकेदार से भुगतान प्राप्त होने पर ही ब्रिकेट जारी करने के लिए गेट पास जारी किया जाएगा।
5. इस संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में कि क्या इसके तहत कोई दायित्व उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर का निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम और बाध्यकारी होगा।

E. विवादों का समाधान

पार्टियों के बीच निर्माण, अर्थ और संचालन या करार के प्रभाव (पार्टियों के बीच प्रविष्ट) या उसके उल्लंघन के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवाद या मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाएगा। यदि, हालांकि, पार्टियां उन्हें सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो विवाद की प्रकृति का स्पष्ट रूप से उल्लेख

करते हुए दूसरे पक्ष को लिखित रूप में 30 दिनों का नोटिस जारी करने के बाद किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता द्वारा इसका समाधान किया जाएगा। मध्यस्थता प्रक्रिया मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार आयोजित की जाएगी, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाता है और इसके अनुसरण में दिया गया निर्णय पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। मध्यस्थ न्यायाधिकरण में दोनों पक्षों को स्वीकार्य एकमात्र मध्यस्थ शामिल होगा। असहमति के मामले में, मध्यस्थ न्यायाधिकरण में तीन मध्यस्थ शामिल होंगे, प्रत्येक पक्ष द्वारा नियुक्त किया जाने वाला एक मध्यस्थ और दो मध्यस्थों द्वारा संयुक्त रूप से नियुक्त किया जाने वाला तीसरा पीठासीन मध्यस्थ. कोई भी अपील भुवनेश्वर में अदालतों के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अधीन होगी। मध्यस्थता का स्थान भुवनेश्वर में होगा। ठेकेदार मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान करार के तहत काम करना जारी रखेगा जब तक कि अन्यथा बैंक द्वारा लिखित रूप में निर्देशित न किया जाए या जब तक कि विवाद ऐसा न हो कि मध्यस्थ न्यायाधिकरण का निर्णय प्राप्त होने तक काम जारी नहीं रखा जा सकता है।

F. अपात्रता/समाप्ति/जुर्माना

1. इसे एक गंभीर कृत्य के रूप में माना जाएगा यदि कोई निविदाकर्ता निविदाकर्ता द्वारा या उसकी ओर से कोई प्रचार करने का प्रयास करता है या अनुबंधों की जांच, तुलना, मूल्यांकन और अवार्ड पर बैंक के निर्णय के बारे में राजनीतिक या अन्य बाहरी प्रभाव लाने का प्रयास करता है। ऐसे मामले में, निविदाकर्ता की निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी, इसके अलावा न्यूनतम एक वर्ष की अवधि के लिए काली सूची में डाल दिया जाएगा, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामलों का पता नहीं चलता है, लेकिन बाद में पता चलता है, तो इस तरह की अपात्रता तत्काल प्रभाव से होगी।
2. बैंक ठेकेदार को दो महीने का नोटिस देने के बाद करार समाप्त कर सकता है। यदि एजेंसी करार समाप्त करना चाहती है, तो उसे बैंक को दो महीने का नोटिस देना चाहिए। यह एजेंसी के लिए बाध्यकारी है कि वह दो महीने की नोटिस अवधि के दौरान अनुबंधित गतिविधि को एकत्र करना जारी रखे, भले ही समाप्ति की सूचना का स्रोत कुछ भी हो।

3. निरंतर देरी/चूक के मामले में या सहमत शर्तों के अनुसार गतिविधि करने में ठेकेदार द्वारा किसी भी उल्लंघन के मामले में, सुरक्षा जमा जब्त कर ली जाएगी और इस बात के बावजूद कि ऊपर बताई गई अवधि समाप्त नहीं हुई है, डिफॉल्ट करने वाले पक्षों को वस्तुओं को बेचने का करार महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक द्वारा संबंधी पक्ष को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक और भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के अनुमोदन से ऐसे अन्य पक्षों को वस्तुओं को बेचने का हकदार होगा, जो उसके बाद उचित समझे। क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
4. इस करार के किसी भी प्रावधान के ठेकेदार द्वारा बार-बार देरी या किसी भी उल्लंघन के मामले में, महाप्रबंधक/उप-प्रभारी, निर्गम विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर द्वारा जुर्माना लगाने के लिए पर्याप्त गंभीर माना जाता है, पूर्वोक्त महाप्रबंधक/प्रभारी प्रभारी क्षेत्रीय निदेशक/प्रभारी अधिकारी के परामर्श से **10,000/- रुपये (रुपये दस हजार मात्र)** से अधिक का जुर्माना नहीं लगा सकते हैं(ख) प्रत्येक उदाहरण के लिए ठेकेदार पर (संशोधन) की वसूली की जा सकती है और इसे ठेकेदार से वसूल किया जा सकता है।

G. विधियों का अनुपालन

1. ठेकेदार भारत और ओड़िशा में लागू सभी प्रासंगिक कानूनों का पालन करेगा। ठेकेदार अपनी ओर से किसी भी लापरवाही के कारण बैंक को सभी प्रकार के कानूनी निहितार्थों से क्षतिपूर्ति करेगा और जिसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं है।
2. ठेकेदार मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों और ओड़िशा में लागू विभिन्न राज्यों के नियमों का पालन करेगा।
3. ठेकेदार को प्रचलित क़ानून के अनुसार अद्यतन सभी रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों को बनाए रखना होगा और जब भी मांगे जाने पर प्रबंधन/वैधानिक अधिकारियों के समक्ष पेश करना होगा।
4. ठेकेदार को लागू सभी श्रम कानूनों, विशेष रूप से ठेका श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का पालन करना होगा; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई)

अधिनियम 1948; कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) अधिनियम, 1952; ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम, 1972; मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936; न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1950 और राज्य मोटर यान अधिनियम और नियम और समय-समय पर लागू सभी सांविधिक भुगतान करते हैं। सरकारी अधिकारियों द्वारा सत्यापन/जांच के लिए जब भी आवश्यक हो, ठेकेदार बैंक को अपनी बही-बही, रजिस्टर, दस्तावेज और प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करेगा।

5. ठेकेदार के पास ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) अधिनियम, 1970 की खंड 12(1) और ठेका श्रम (विनियम और उत्पादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार वैध लाइसेंस होना चाहिए और उपर्युक्त अधिनियम और नियमों के अन्य प्रावधानों/आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए।
6. यदि प्रधान नियोक्ता के रूप में बैंक को लागू किसी भी कानून के अनुसार ठेका श्रमिकों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में ठेकेदार की ओर से चूक के कारण ठेकेदार द्वारा लगाए गए ठेका श्रमिकों को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, तो ठेकेदार बैंक द्वारा भुगतान की गई ऐसी राशि की प्रतिपूर्ति करने के लिए बैंक को उत्तरदायी होगा और ऐसी राशि ठेकेदार से बैंक को देय ऋण के रूप में ठेकेदार से बैंक द्वारा वसूल की जाएगी।
7. ठेकेदार बैंक के खिलाफ किए जा सकने वाले किसी भी दावे, मांग, कार्रवाई या कार्यवाही के खिलाफ बैंक को हर समय क्षतिपूर्ति देगा और क्षतिपूर्ति रखेगा, या जो ठेकेदार द्वारा किए गए किसी भी कारण से बैंक द्वारा पीड़ित हो सकता है या ठेकेदार से उत्पन्न हो सकता है करार श्रम (विनियमन और उन्मूलन) अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए, (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, 1970 और केन्द्रीय नियम, 1971 अथवा किसी अन्य कानून/अधिनियम के अधीन है।

H. गैर-प्रकटीकरण खंड:

ठेकेदार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के बुनियादी ढांचे/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी, सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस करार के संबंध में अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने के दौरान ठेकेदार के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है, किसी भी तीसरे पक्ष को और हर

समय इसे सख्त विश्वास में रखेगा। ठेकेदार करार के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक यह लागू हो। ठेकेदार नियोक्ता की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने की अनुमति या खुलासा नहीं करेगा। ठेकेदार किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के परिणामस्वरूप नियोक्ता को होने वाले किसी भी नुकसान के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को ठेकेदार की ओर से करार के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा और नियोक्ता नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। ठेकेदार अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस करार के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के संबंध में ठेकेदार के दायित्व किसी भी कारण से इस करार की समाप्ति या समाप्ति से बचेंगे।

I. यौन उत्पीड़न खंड:

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के पूर्ण अनुपालन के लिए ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। भारतीय रिज़र्व बैंक, भुवनेश्वर के परिसर के भीतर अपने कर्मचारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत के मामले में, शिकायत ठेकेदार द्वारा गठित आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष दर्ज की जाएगी, जो उक्त शिकायत के संबंध में अधिनियम के तहत उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेगी। ठेकेदार अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और संबंधित मुद्दों के बारे में शिक्षित करने के लिए जिम्मेदार होगा। बैंक के किसी भी कर्मचारी के खिलाफ ठेकेदार के किसी भी पीड़ित कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत का बैंक द्वारा गठित क्षेत्रीय शिकायत समिति द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठेकेदार किसी भी मौद्रिक मुआवजे के लिए जिम्मेदार होगा, जिसे घटना में उसके कर्मचारियों को शामिल होने पर भुगतान करने की आवश्यकता हो सकती है, उदाहरण के लिए बैंक के कर्मचारी को कोई मौद्रिक राहत, यदि ठेकेदार के कर्मचारी द्वारा यौन हिंसा साबित हो जाती है।

J. शासी भाषा

यह करार अंग्रेजी और हिंदी में किया जाएगा। यदि इस करार का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी और हिंदी में किया गया है। यदि इस करार का हिंदी अनुवाद अंग्रेजी संस्करण के साथ विरोध है या इसमें अंग्रेजी संस्करण के अलावा या उससे अलग शब्द शामिल हैं, तो अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। गवाह में जिसके बारे में नियोक्ता ने अपने विधिवत अधिकृत अधिकारी के माध्यम से ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को जिसके गवाह में

ठेकेदारों ने इन मूल करार पर लिए अपने हस्ताक्षर किए हैं और सील लगाई है। साथ ही ऊपर दर्शाए गए दिन और वर्ष को डुप्लिकेट और इसकी ओर से उक्त दो प्रतियां निष्पादित की गई हैं।

ऊपर सूचीबद्ध करार के नियमों और शर्तों के पूर्ण अनुपालन में पक्षों द्वारा करार पर,

_____, 2026 को हस्ताक्षर किए गए

आरबीआई अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

पात्र बोलीदाता

भारतीय रिज़र्व बैंक की ओर से :

ठेकेदार की ओर से :

गवाह:

गवाह:

1. हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

1. हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

2. हस्ताक्षर :

नाम :

पता :

2. हस्ताक्षर :

नाम :

पता :